



2026:AHC:32235-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 2047/2026

मनमोहन

लाल

..... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत	संघ	एवं	7	अन्य
..... प्रतिवादी				

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अनुभव कुमार, जितेन्द्र सिंह
प्रतिवादि के अधिवक्ता	:	ए.एस.जी.आई., जिज्ञासा सिंह, मनोज कुमार सिंह

न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

- यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद पीठ, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके द्वारा हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल आवेदन (ओ.ए.) स्वीकार कर लिया गया था और याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था, किंतु यह आदेश दिया गया था कि वह बर्खास्तगी की तिथि से बहाली की तिथि तक किसी भी वेतन का हकदार नहीं होगा। मूल आवेदन दंड आदेश दिनांक 13.08.2018 और अपीलीय आदेश दिनांक 17.11.2018 के विरुद्ध सभी परिणामी लाभों की मांग करते हुए दायर किया गया था।
- याचिकाकर्ता को वर्ष 2009 में सफाईवाला के पद पर नियुक्त किया गया था और वर्ष 2013 में ड्रेसर के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता की माता की बीमारी और उनके अस्पताल में भर्ती होने के दौरान, याचिकाकर्ता की उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज के केंद्रीय अस्पताल की मेट्रन के साथ कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके लिए उसने शिकायतें की थीं। यह दावा किया गया है कि अस्पताल के मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध अस्पताल परिसर में सामूहिक बलात्कार में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। याचिकाकर्ता को 11.08.2018 को निलंबित कर दिया गया, 12.08.2018 को एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 13.08.2018 को रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1968 (संक्षेप में "नियमावली 1968") के नियम 14 (ii) के प्रावधानों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सांविधिक अपील को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 17.11.2018 को खारिज कर दिया गया था। इससे क्षुब्ध होकर, बर्खास्तगी के आदेश और अपीलीय आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए मूल आवेदन दायर किया गया था।
- तत्पश्चात, दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतिम रिपोर्ट दी गई, जिसमें याचिकाकर्ता को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। इसके विरुद्ध मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के समक्ष एक विरोध

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिका दायर की गई थी, जिसे 07.09.2021 को खारिज कर दिया गया। हालांकि, आपराधिक आरोपों से दोषमुक्त होने के बावजूद याचिकाकर्ता को बहाल नहीं किया गया।

4. प्रतिवादियों ने इस दलील के साथ याचिका का विरोध किया कि दंड आरोपों की गंभीरता के अनुरूप था और इस प्रकार याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं था।

5. अधिकरण ने पक्षों को सुनने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी जिसके आधार पर अनुशासनिक प्राधिकारी ने बर्खास्तगी का आदेश पारित किया था। जांच के उपरांत पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया था तथा उसके विरुद्ध आरोप स्थापित नहीं हुए। विरोध याचिका खारिज कर दी गई और आपराधिक मामले में पूर्ण दोषमुक्ति को देखते हुए याचिकाकर्ता बहाली का हकदार था और तदनुसार विवादित आदेशों को रद्द कर दिया गया। हालांकि, परिणामी राहत के पहलू पर विचार करते हुए यह आदेश दिया गया कि वह बर्खास्तगी की तिथि से बहाली की तिथि तक वेतन का हकदार नहीं होगा।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा बर्खास्तगी से बहाली की अवधि के लिए वेतन से इनकार करना उचित नहीं था क्योंकि कोई जांच नहीं की गई थी। 1968 की नियमावली के नियम 14 के प्रावधानों का उपयोग किया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे ही दिन उसे मनमाने ढंग से सेवा से हटा दिया गया। एक बार जब आरोपों से पूर्ण दोषमुक्ति हो गई, जहाँ आरोप पत्र तक दाखिल नहीं किया गया था, तो बर्खास्तगी की तिथि से बहाली की तिथि तक मौद्रिक लाभों से इनकार करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। इस संबंध में 'भारत संघ बनाम के.वी. जानकीरमन: 1993 एससीसी (एल एण्ड आर) 387 तथा 'डॉ. विनायक शंकर दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य: (2016) 3 यूपीएलबीईसी 1871 के निर्णयों पर भरोसा किया गया।

7. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने विवादित आदेश का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि एक बार जब याचिकाकर्ता के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप लगाया गया था, तो 1968 की नियमावली के नियम 14 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए उसे सेवा से सही बर्खास्त किया गया था और 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत के कारण वह किसी राहत का हकदार नहीं है।

8. हमने पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अत्यंत सरसरी तौर पर और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के कारण केवल एक त्वरित प्रतिक्रिया के रूप में 1968 की नियमावली के नियम 14 (ii) के प्रावधानों का सहारा लिया गया और बिना किसी जांच के याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यह प्रावधान परिकल्पना करता है कि जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है जिसके कारण लिखित में दर्ज किए जाने चाहिए कि नियमावली में दी गई प्रक्रिया के अनुसार जांच करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, तो वह मामले की परिस्थितियों पर विचार कर उचित आदेश पारित कर सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता को बर्खास्त करने वाले आदेश दिनांक 13.03.2018 में केवल यह टिप्पणी की गई थी कि इस प्रकार के मामलों में रेलवे विभाग आरोप पत्र जारी नहीं कर सकता और जांच नहीं कर सकता क्योंकि मामला आपराधिक प्रकृति का है। ऐसी टिप्पणी किसी भी परिस्थिति में नियमों की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. जो भी हो, एक बार जब बर्खास्तगी केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के कारण हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोप पत्र तक दाखिल नहीं किया गया और विरोध याचिका भी खारिज हो गई, तो याचिकाकर्ता तत्काल बहाल होने का हकदार था। फिर भी, उसकी बहाली के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए, जबकि बर्खास्तगी और अपीलीय आदेश को चुनौती देने वाला मूल आवेदन वर्ष 2019 से लंबित था और अधिकरण को उक्त आदेशों को रद्द करना आवश्यक था।

11. यह सुस्थापित कानून है कि यदि किसी कर्मचारी को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो वह उस अवधि के वेतन का लाभ पाने का हकदार है जब उसे सेवा से हटाया गया था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में 'कार्य नहीं तो वेतन नहीं' का नियम लागू नहीं होगा।

12. इस न्यायालय ने 'डॉ. विनोद शंकर दुबे' (सुप्रा) के मामले में यह निर्धारित किया है कि:-

“5. याचिकाकर्ता को विधि के न्यायालय द्वारा एक आपराधिक मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था। उसकी दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है। एक बार जब कोई सरकारी सेवक दोषमुक्त हो जाता है और उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जाती है, तो विभाग के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह प्रश्नगत अवधि के लिए पूर्ण वेतन प्रदान करे। समान परिस्थितियों में, डॉ. राम खेलावन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2008 (8) ए.डी.जे. 324 (डी.बी.) के मामले में सरकारी सेवक को आपराधिक आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया था। न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि सरकारी सेवक को सेवा के सभी लाभ दिए जाने चाहिए, जिसमें निलंबन अवधि के दौरान का बकाया वेतन भी शामिल है। हम उक्त निर्णय से पूर्णतः सहमत हैं और यह धारित करते हैं कि एक बार जब याचिकाकर्ता आपराधिक आरोपों से दोषमुक्त हो जाता है और उसके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, तो याचिकाकर्ता उस अवधि के लिए पूर्ण वेतन का हकदार होगा जब उसे निलंबित माना गया था।

13. वर्तमान मामला पूरी तरह से 'डॉ. विनोद शंकर दुबे' (सुप्रा) के मामले में की गई टिप्पणियों से आच्छादित है।

14. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, याचिका स्वीकार की जाती है। अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.02.2024 को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता अपनी बर्खास्तगी/सेवा से हटाए जाने की तिथि से बहाली की तिथि तक के सभी मौद्रिक लाभों का हकदार होगा।

15. इन लाभों का भुगतान याचिकाकर्ता को इस आदेश की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाए।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

एस.एल.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"